न्यायालय प्रथम अपर जिला जज, जौनपुर।

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या– 10/2018 (रजि0 नं0–10/2018)

सीएनआर.नं0– यूपीजेपी. 010004482018

रामजीत एवं अन्य–––––––बनाम––––––––––अमृत लाल एवं अन्य

19.01.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 23क अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे के प्रतिस्थापन हेतु मय शपथ पत्र 24ग, प्रार्थना पत्र 25ग प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब से छूट प्रदान किये जाने हेतु मय शपथ पत्र 26ग तथा 27ग प्रार्थना पत्र स्वतः उपशमन अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 23क अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रतिस्थापन हेतु सशपथ इस कथन के साथ दिनांक 03.12.2022 को प्रस्तुत किया गया है कि धर्मराज दूबे की मृत्यु दिनांक 03.07.2022 को हो गयी है और उनके वारिस उनकी पत्नी माला उर्फ मालती देवी तथा तारा शंकर, विजय शंकर, शिवशंकर, वीरेन्द्र पुत्रगण है।

प्रार्थना पत्र 25ग अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर सशपथ कथन किया गया है कि अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे की मृत्यु दिनांक 03.07.2022 को हो गयी उनके मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी साथ ही यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी कानूनी कायदा से अनभिज्ञ है। उसके द्वारा जान–बूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र 27ग सशपथ इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे की मृत्यु दिनांक 03.07.2022 हो गयी थी जिसके बाबत वरासत प्रार्थना पत्र दिया गया तथा उसे कानून कायदा की कोई जानकारी नहीं थी और दिनांक 02.112.2022 को कचहरी आकर वकील साहब से मिलकर धर्मराज दूबे की मृत्यु के सम्बन्ध में बताया तो वरासत प्रार्थना पत्र तैयार कराकर देरी माफी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में यदि वाद उपशमित होने की स्थिति में हो तो उसे मर्यादा अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुये प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाय।

विपक्षी की तरफ से मौखिक रूप से आपत्ति करते हुये कथन किया गया कि जान बूझ कर अपील के निस्तारण को विलम्बित करने की गरज से प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलार्थीगण के घर पर ही अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे की मृत्यु हुयी थी । ऐसी स्थिति में जानकारी न होने की सम्भावना नहीं है और अनुरोध किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाय।

सुना। अवलोकित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि सशपथ कथन अखण्डित है किन्तु अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे के मृत्यु की जानकारी अन्य अपीलार्थीगण को न होने की सम्भावना न्यून प्रतीत होती है परन्तु पक्षकारो के मध्य विवाद के गुणदोष के आधार पर निस्तारण के बाबत एक अवसर दिये जाने हेतु न्यायहित में 25ग प्रार्थना पत्र विलम्ब माफी हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है। तत्क्रम में स्वतः अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 27ग भी स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थी संख्या–2 धर्मराज दूबे के मृत्यु के सम्बन्ध में प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र 23ग भी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 25ग मु0–200/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी संख्या–2 के प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी से छूट प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र 27ग स्वीकार करते हुये स्वतः उपशमन समाप्त की जाती है। संशोधन प्रार्थना पत्र 23क भी स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर तीन दिन हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 28.02.2023 को पेश हो। मूल पत्रावली तलब हो।

प्रथम अपर जिला जज,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021